

## FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

(अनुपूरक नियम 216 देखिए )/( See Supplementary Rule 216 )

टिप्पणी :-- मद संख्या 1 से 11 प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित ।

Note : --- Items 1 to 11 must be filled by applicants whether gazetted or non gazetted.

1. प्रार्थी का नाम / Name of applicant :
2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली / Leave rules applicable :
3. पद / Post held :
4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग /Department, Office and Saction :
5. वेतन / Pay :
6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया  
भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते  
House rent allowance, conveyance allowance  
or other compensatory allowances drawn in the  
Present post :
7. मांगी गयी छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके  
शुरु होने की तारीख  
: :
8. रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो, जिन्हें  
छुट्टी से पहले / बाद में जोड़ना चाहते हैं  
Sunday and holidays if any proposed to be  
Prefixed / suffixed to leave  
: :
9. छुट्टी का कारण /Ground on which leave is applied for  
: :
10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी  
की किस्म तथा अवधि / Date of return from last leave,  
And the nature and period of that leave  
: :
11. मेरा विचार आगामी छुट्टी में ----- के खण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा की  
कैफियत लेने का है / नहीं है । / I propose/do not propose to avail myself of travel  
Concession in the block years.....during the consuing leave.
12. (क) मैं वचन देता हूं कि औसत वेतन छुट्टी / परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गए छुट्टी वेतन और  
औसत वेतन / आधे वेतन की छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम को वापस कर दूंगा  
जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख)(ii)/  
संशोधित छुट्टी नियमावली 1933 के नियम 11(ग) (iii) के लागू न होने पर अनुमत्य न होती ।  
(b) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during Leave on average  
pay/commuted leave and that admissible during leave on half average Pay/half pay leave which  
would not have been admissible had the proviso to F.R.81,(b) (ii) rule 11 (c) (iii) of the Revised  
Leave Rules, 1933 not been applied In the event of my retirement from service at the end or during  
the currency of the leave.

12. (ख) मैं वचन देता हूँ कि मेरी स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग-पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सका जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो अग्रिम छुट्टी के दौरान जो मूल नियम 81 (ग) / संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11(घ) के लागू न किए जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुट्टी के वेतन की वापस कर दूंगा ।

(b) I undertake to refund the leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible had F.R. 81 (c) / Rule 11 (d) of the Revised Leave Rules 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not Due availed of by me.

तारीख :

Date : .....

प्रार्थी के हस्ताक्षर :

Signature of applicant : .....

13. नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी और / या सिफारिश

Remark and/or recommendation of the Controlling Officer.

हस्ताक्षर / Signature.....

तारीख / Date : .....

पदनाम / Designation.....

छुट्टी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY

(राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में महालेखाकार द्वारा)

(By Accountant General in the case of gazetted officers)

14. प्रमाणित किया जाता है कि .....से .....तक .....दिन के लिए .....

नियमावली के नियम .....के अधीन .....(छुट्टी की किस्म ) अनुमत्य है ।

Certified that ..... (Nature of Leave) for.....From .....  
to .....is admissible under rule ..... of the ..... Rules.

हस्ताक्षर / Signature : .....

तारीख / Date : .....

पदनाम /Designation : .....

15. स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश :-

Orders of the sanctioning authority :-

हस्ताक्षर / Signature.....

तारीख / Date .....

पदनाम / Designation

यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी की उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहाँ इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो ।

If the applicant is drawne any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave. He is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.